विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम गुरूवार के लिये निर्धारित डा0 मान सिंह यादव द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-10 का उत्तरः-

प्रश्न सं0	तारांकित प्रश्न	उत्तर
10(क)	क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बतायेंगे कि शासनादेश संख्या-3288/71-2-16-आर0एम0-18/2024 दिनांक 23.08.2016 एवं शासनादेश संख्या-84/2017/5799/ 71-2-2017-12/2017 दिनांक 06.12.2017 के अनुपालन में के०जी०एम०यू० लखनऊ के गैर-शैक्षणिक संवर्ग के लैब टेक्नीशियन कैडर के अधिकारियों/कर्मचारियों को एस०जी०पी०जी०आई० लखनऊ के समतुल्य पदनाम, वेतमान एवं भत्तें दिनांक 01.01.2016 से अनुमन्य किये जाने की कार्यवाही पूर्ण करा ली गयी है?	जी नहीं।
(ख)	क्या मानकीकरण के शासनादेश सं० 110/ 2022/96/71-2099/753/ 2021 दिनांक 05. 09.2022 एवं शासनादेश सं० 143/2022/170/712099-817-2019 दिनांक 30.11.2022 से पहले के०जी०एम०यू० लखनऊ के गैर शैक्षिक संवर्ग के लैब टेक्नीशियन कैडर के अधिकारियों/ कर्मचारियों को एस०जी०पी०जी०आई० लखनऊ के समतुल्य कैडर स्ट्रक्चरिंग करा ली गयी थी?	जी नहीं।
(ग)	क्या शासनादेश सं०-3288/71-2-16-आर0एम0-18/2024 दिनांक 23.08.2016 एवं शासनादेश सं०-84/2017/ 5799/ 71-2-2017-12/2017 दिनांक 06.12.2022 के अनुपालन में के०जी०एम०यू० लखनऊ के गैर-शैक्षिक संवर्ग के लैब टेक्नीशियन कैडर के अधिकारियों/ कर्मचारियों को एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ के समतुल्य ही भर्ती, पदोन्नति एवं ज्येष्ठता का लाभ दिया गया है?	जी नहीं।
(घ)	यदि नहीं, तो उक्त को कब तक एस०जी०पी०जी०आई० की भांति लाभ प्रदान करायेंगे?	शासनादेश दिनांक 05.09.2022 एवं 30.11.2022 द्वारा के0जी0एम0यू0 में मानकीकरण के अनुसार पदों का सृजन किए जाने के पश्चात उक्त कार्मिकों को एस0जी0पी0जी0आई0 के समान लाभ प्रदान किया जा रहा है।

ब्रजेश पाठक
उप मुख्यमंत्री।